भारत में गठबंधन सरकार की सार्थकता

Dr. Md. Zoha Siddiqui
Assistant Professor (Guest),
Department of Political Science,
Millat College, Darbhanga.

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है। यहां प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार का गठन करते हैं, भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था का प्रावधान है, इसलिए कई बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता। इससे राजनीति अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः उक्त परिस्थितियों में गठबंधन सरकार की स्थापना की जाती है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का वर्चस्व रहा है। ऐसे में ''गठबंधन सरकार'' की विशेषताओं, उसकी सफलता और असफलताओं की सम्भावनाओं को जानना आवश्यक हो जाता है।

गठबंधन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा दल किसी विशेष उद्देश्य की पुष्टि हेतू अस्थायी रूप से अल्पकाल के लिए जुडते हैं। राजनीति के संदर्भ में गठबंधन का आश्य दो या दो से अधिक दलों का मेल है। ''ए डिक्श्नरी ऑफ पॉलिटिक्स थॉट'' रोजर स्क्रटन के अनुसार राजनीति के सम्बंध में गठबंधन को परिभाषित करते हुए लिखा हैः विभिन्न दलों या राजनीति पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है।

गठबंधन की विशेषताएं गठबंधन सरकार की विशेषताएं यह होती है कि इसमें किसी एक पार्टी का वर्चस्च नहीं होता। वह समान विचारधारा, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम आदि रखने वाली पार्टियों का समूह होता है। गठबंधन सरकार की सफलता अथवा असफलता उन सभी पार्टियों के पारस्परिक सहयोग एवं विचारधारा पर निर्भर करती है। साधारण गठबंधन सरकार की आवश्यकता तब अनुभव होती है, जब किसी भी एक राजनीति दल को स्पष्ट तथा अनिवार्य जनादेश नहीं मिलता। गठबंधन सरकार की संकल्पना विश्व स्तर पर व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है। आज ब्रिटेन, जर्मनी, आस्टेªलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, इण्डोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल, जापान आदि सहित कई दशों में गठबंधन सरकार साझा

कार्यक्रम बनाती है। और उसका सामुहिक उत्तरदायित्व होता है। इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय उसके विभिन्न घटक राजनीतिक दलों के निर्णय माने जाते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व या कोई भी नीति निर्धारित करने से पूर्व सभी राजनीतिक दल विचार-विमर्श करते हैं। इससे देश की जनता के हित में अधिकिारिक निर्णय लिए जाते हैं। गठबंधन सरकार का स्थायित्व हमेशा संदेहास्पद होता है। क्योंकि इसमें विभिन्न मतों को अपनाने वाले राजनीतिक दल सम्मलित होते हैं और सरकार में सम्मलित भी निहित स्वार्थवंश ही होते हैं। राजनीतिक दल सरकार की स्थापना के लिए गठबंधन प्रायः निर्वाचन के बाद ही करते हैं। किन्हीं भी दो दलों का राजनीतिक मुद्दा निर्वासन के दौरान एक समान नहीं होता है। वे गठबंधन तो मंत्रिमंडल के गठन के लिए करते हैं। गठबंधन के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों में नेतापद और मंत्रिपरिषद् के लिए तनाव उत्पन्न हो सकता है। सरकार के गठन के बाद गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल अपनी नीतियों को प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे और अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहेंगे। ऐसे में तो राजनीतिक दल श्क्तिशाली होगा, वह सरकार पर हावी हो जाएगा और अन्य दलों में वैमनस्यता की भावना आ जाएगी। ऐसे में संभव है कि क्षुब्ध राजनीतिक दल गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लें और सरकार गिर जाए।

गठबंधन सरकार की परिस्थितियां गठबंधन प्रक्रिया की उत्पति में समाज का मूलभूत परिवर्तन भी प्रमुख कारक है। जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तब वह ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न कर देता है कि गठबंधन अनिवार्य बन लाता है। फिर, राजनीति तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज होती है। आज कोई भी समाज स्थिर नहीं है, भारत के परिपेक्ष में तो यह ध्रुव सत्य ही है आज की तारीख में। भारतीय समाज आज न केवल जाति, धर्म और अमीर-गरीब (आर्थिक) के आधार पर बंटा हुआ है, बल्कि वर्ग, जीवन शैली और पेशे के आधार पर बंट रहा है। यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजन निर्वाचन को काफी हद तक प्रभावित करता है और किसी एक राजनीतिक दल के लिए बहुमत प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसी एक राजनीतिक दल द्वारा इस विभाजन को पाट पाना दुष्कर होता है। फिर, जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, वे क्षेत्रिय राजनीति में सक्रियता नहीं दिखाते हैं। क्षेत्रिय स्तर पर व्यक्तिवाद हावी होता है या क्षेत्रिय दल प्रभावी होते हैं। ऐसे में मतदाता जो उनके हितों के अधिक अनुकूल सिद्ध होते हैं, उन्हें ही अपना मत देना पसंद करते हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल को बहुमत मिलने जा रहा है या नहीं। इन परिस्थितियों में मत बंट जाता है और किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला पाता है जिससे गठबंधन अनिवार्य हो जाता है।

गठबंधन सरकार राज्य में भारत में गठबंधन सरकार की व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र बहुत ही लचीला तथा परिवर्तनशील है। यहां स्वतत्रं ता के कुछ वर्षों पश्चात् ही गठबंधन सरकार की स्थापना प्रक्रिया अस्तित्व में आ गई थी। भारत में पहली गठबंधन सरकार की स्थापना वर्ष 1953 में राज्य स्तर पर हुई थी। इसके अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश में संयुक्त मंत्रिमडंल की स्थापना की गई थी हालांकि यह मंत्रिमडंल 13 महिने की छोटी सी अवधि में विघटित हो गया। इसके बाद वर्ष 1957 में उडिसा में राज्य में गठबंधन सरकार का गठन हुआ, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा होने में पर्वू ही वर्ष 1961 में इसका विघटन हो गया। 1967 में पश्चिम बंगाल में भी यही प्रयोग हुआ, जो असफल ही रहा। बाद में वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना पडा। 21 मार्च 1997 को उतरप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन वाली सरकार अस्तित्व में आई इस सरकार ने गठबंधन की राजनीति में एक नवीन प्रयोग किया, जिसके अनुसार गठबंधन को 6-6 महिने के लिए नेतृत्व का अवसर मिलना था, लेकिन यह प्रयोग भी सफल नहीं रहा। यद्यपि गठबंधन सरकारों की सपफलता सदैव संदिग्ध बनी रहती है। फिर भी समयानुसार केरल, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, नागालैंड तथा पुडुचेरी में गठबंधन सरकारें सत्तारत रही थी। वर्तमान समय में कर्नाटक में देखने को मिल रही है।

गठबंधन सरकार की स्थापना केन्द्र में केन्द्र में गठबंधन की सरकार की प्रक्रिया काफी बाद शुरू हुई। आरंभिक दौर में तीन दशकों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस पार्टी के प्रभाव से उस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल को उभरने का मौका नहीं मिल पाया। धीरे-धीरे जनता ने कांग्रेस का विकल्प ढुढंना आरम्भ कर दिया, फलस्वरूप 1977 में पहली बार केन्द्र में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1977 के आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जनता पार्टी के नेतृत्व में केन्द्र में पहली बार गठबंधन की सरकार की स्थापना हुई। उस समय गठबंधन सरकार की स्थापना के किन्हीं भी दो राजनीतिक दलों को नीतिगत विचारधारा नहीं थी, लेकिन इन्दिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के विरोध में एकजुट हुए थे। और वह 14 जनवरी 1980 को ही विघटित हो गई थी। इसके बाद गठबंधन सरकार की स्थापना संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में 1989 में हुई। फिर 1990 और 1996 में क्रमश जनता दल-नशनल फ्रंट, समाजवादी जनता पार्टी- कांग्रेस और जनता दल-यूनाइटेड फ्रंट के गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई, परन्तु ये सभी सरकारें निर्धारित समय पूरा करने में असफल रही। केन्द्र स्तर पर सबसे अधिक सफल गठबंधन एनडीए- 19 मार्च 1998-22 मई 2004 और यूपीए 1,2 - 22 मई 2004-26 मई 2014 तक रहा है। वर्तमान समय में केन्द्र में

एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता में है। भारत में दो राज्य ऐसे हैं, गठबंधन की सरकार को सबसे बडी सफलता मिली पश्चिम बंगाल, केरल में मिली है। इस सफलता मिली पश्चिम बंगाल में गठबंधन का नेतृत्व माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करती है तो केरल में कांग्रेस और साम्यवादी में से कोई एक इन राज्यों में पहले ही किया जाता है जो बहुत हद तक समान है।

गठबंधन सरकार में महत्वपूर्ण पहलू भारत जैसे विकासशील देश में जहां एक बडा वर्ग अशिक्षित है वहां गठबंधन सरकार कितनी प्रासंगिक हैं। गठबंधन सरकार के अच्छे और बुरे, दोनों ही पक्ष है। भारतीय इतिहास पर नजर डाली जाएं, तो भारत में कई बार बहुमत प्राप्त दलों ने ही सत्ता संचालन किया है, लेकिन उनसे जनता को आशातित परिणाम नहीं मिले, इसलिए जनता ने विकल्पों की खोज की इस प्रक्रिया में किसी एक पार्टी द्वारा सरकार का गठन सम्भव नहीं हुआ। इससे सभी पार्टियों को भी यह समझ आ गया कि यदि वे जनता की आशाओं पर खरे नही उतरेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, तो वह उसे दोबारा सत्ता में आने का अवसर ही नहीं देंगे। इस प्रकार, गठबंधन सरकारों ने सभी दलों पर राजनैतिक दबाव बनाया गया। गठबंधन सरकार किसी भी एक पार्टी की विचारधारा तथा कायशैली तानाशाही परिवर्तन नहीं हो पाती।

गठबंधन सरकार के सकारात्मक पक्ष जैसे इसमें- क्षेत्रिय विभिन्नताओं तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है, निर्णय लेने में जनता को महत्व दिया जाता है, निर्णय लेने में बडे वर्ग का ध्यान रखा जाता है, सिद्धान्तों को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी निर्णय अच्छी तरह सोच-समझकर लिया जाता है।

गठबंधन सरकार का नकारात्मक पक्ष गठबंधन सरकार का स्थायित्व हमेशा संदेहास्पद होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न मतों को अपनाने वाले राजनीतिक दल सम्मिलत होते हैं। जो अपने निहित स्वार्थवश ही आपस में जुडे होते हैं, ऐसे में कभी भी सरकार के गिरने का खतरा रहता है जैसे यूपीए-2 के शासनकाल में बार-बार उसे विभिन्न दलों से समर्थन वापस लेने की धमकी मिलती रहती है। गठबंधन की अस्थिरता के कारण यदि सरकार गिर जाती है, तो बहुत कम अवधि में पुनः चुनाव कराने पडते हैं। इस प्रक्रिया में धन का बहुत अपव्यय होता है, जिसका भार अप्रत्यक्ष रूप् से जनता को उठाना पडता है। इसके अतिरिक्त गठबंधन सरकार के लिए कोई भी निर्णय ले पाना बहुत कठिन होता है। क्योंकि उससे विभिन्न दलों की विचारधारा से सामंजस्य स्थापित करना पडता है। इससे समय की बर्बादी बहुत होती है। कई बार सरकार को बचाए रखने के लिए तुष्टिकरण की नीति भी अपनानी पडती है। जिससे

भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता को बढावा मिलता है और योग्य व्यक्तियों को महत्व नहीं दिया जाता एक तो लोकतंत्र में विकास और फैसले लेने की प्रक्रिया वैसे ही धीमी होती है।

निष्कर्षः- गठबंधन सरकार के जितने सकारात्मक पक्ष हैं, उतने ही नकारात्मक पक्ष भी हैं सबसे बडी बात तो यह है कि इसकी सफलता पर संदेह बना रहता है और सरकार स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोचती है शायद भारतीय जनता भी इस ओर ध्यान देने में केन्द्रित करने करने पर मजबूर हुई है, तभी तो उसने 16वीं लोकसभा के चुनावों में नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया है। आशा है कि यह सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ताकि जनता को फिर से गठबंधन वाली सरकार पर विचार न करना पडे।

सन्दर्भ

1 अरिहन्त पब्लिकेशन्स इंडिया लिमिटेड -योगेशचदं जैन
2 प्रतियोगिता दर्पण - 1999
3 कम्पीटिशन सक्सेस रिव्यू - 2000
4 इण्डिया टूडे
5 इण्टरनेट
6 क्रॉनिकल - 2014
7 पेपर दैनिक भास्कर।